प्रकरण संख्या 16/2019 बंशीलाल बनाम अब्दुल दाउद व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2020	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आमेट में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या के संयुक्त स्वामित्व व खातेदारी की आराजी नंबर 2717, 2716, 2718 व 2720 स्थित है, किन्तु विपक्षी संख्या 1 की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से विपक्षी संख्या 2 ने उसका फायदा उठाकर विक्रय विलेख अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया तथा भूमि का बिना विभाजन कराये पर जबरन प्रवेश करने पर उतारू हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.09.2019 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 01.10.2019 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 औपचारिक पक्षकार की ओर पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा स्वयं के हिस्से का विक्रय किये जाने बाबत् आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने विधिवत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमियां क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। पक्षकारान आपसी समझौत अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर	

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1994 पेज 23, ए.आई.आर. 2002 पंजाब एण्ड हरियाणा पेज 258, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर 2000 पेज 47, आर.आर.डी. 1997 पेज 237, आर.आर.डी. 2009 पेज 223, आर.बी.जे. (18) 2011 पेज 89 प्रस्तुत की।

पैरोकार सरकार ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि राजस्व रेकार्ड अनुसार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 विवादित भूमियों का सहखातेदार एवं उसके द्वारा अपने हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 03.09.2014 को किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर बिना विस्तृत विवेचन किये मात्र दो लाईनों में तीनों बिन्दुओं को प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में मानकर उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.09.2019 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर विधिवत विवेचन कर पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.03.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 16/2019 बंशीलाल बनाम अब्दुल दाउद व अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.02.11 15:36:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: